न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), ललितपुर।

विविध वाद संख्या 632/2023

सरकार बनाम नीलू उर्फ नीरज सिंह आदि

अ०सं० 195/2022

अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि०,

थाना महरौनी, जिला ललितपुर।

04.02.2026

विवेचक द्वारा बाद विवेचना वादी/साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं., हस्व अनुमोदनशुदा गैंगचार्ट व अन्य प्रलेखनीय साक्ष्य के आधार पर अ०सं० 195/2022 अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि० थाना महरौनी, जिला ललितपुर में अभियुक्तगण 1. नीलू उर्फ नीरज सिंह(गैंग लीडर), 2. शिवम सिंह(गैंग सदस्य), 3. प्रदुम्न सिंह उर्फ प्रदुम प्रताप सिंह बुंदेला(गैंग सदस्य) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि० के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को प्रसंज्ञान के बिन्दुओं पर सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि गैंग चार्ट का अनुमोदन भी निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर एवं पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा किया गया है। अ०सं० 128/2022 धारा 379/411 भा.द.स. एवं मु०अ०सं० 129/2022 धारा 379/411 बीएनएस, मु०अ०सं० 130/2022 धारा 379/411 भा.द.सं., मु०अ०सं० 131/2022 धारा 379/411 भादसं, मु०अ०सं० 132/2022 धारा 379/411/413/414/420/467/468 भा.द.सं., मु०अ०सं० 200/2022 धारा 379/411 भादसं के तहत वाहन चोरी करके, उनको बेचकर लाभ अर्जित कर व्यापार करने और चोरी की सम्पत्ति बरामद होने, उक्त अपराध बार-बार करने, धोखाधड़ी कर चोरी करने जैसे अपराध के दृष्टिगत अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि०, थाना महरौनी, ललितपुर में गैंगस्टर एक्ट दर्ज किया गया है, उनके द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। केस डायरी में साक्षीगण तथा पत्रावली में उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के परिशीलन किये जाने के पश्चात प्रथम दृष्टया उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण 1. नीलू उर्फ नीरज सिंह(गैंग लीडर), 2. शिवम सिंह(गैंग सदस्य), 3. प्रदुम्न सिंह उर्फ प्रदुम प्रताप सिंह बुंदेला(गैंग सदस्य) का एक सक्रिय गैंग है और उनके द्वारा गैंग बनाकर भौतिक, आर्थिक लाभ अर्जित करने हेतु चोरी कर सम्पत्ति को बेचकर व्यापार करने जैसी घटना भा.द.सं. के अध्याय 16, 22 में वर्णित उपबन्धों का उल्लंघन कर घटनायें कारित कर अनैतिक रूप धन अर्जित करते हैं तथा समाज विरोधी क्रिया-कलाप अपने आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ हेतु आम-जनमानस में भय व आतंक का माहौल व्याप्त करना विवेचना दौरान पाये जाने के आधार पर उनके विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि० के अन्तर्गत अपराध का प्रसंज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार हैं।

आदेश

अभियुक्तगण 1. नीलू उर्फ नीरज सिंह(गैंग लीडर), 2. शिवम सिंह(गैंग सदस्य), 3. प्रदुम्न सिंह उर्फ प्रदुम प्रताप सिंह बुंदेला(गैंग सदस्य) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि० के तहत प्रसंज्ञान लिया जाता है। पत्रावली वास्ते अभियुक्तगण उपस्थिति हेतु नियत दिनांक 18.02.2026 को पेश हो।

दिनांक 04.02.2026

(सुनील सिंह)
अपर जिला एवं सत्र/
विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट)
ललितपुर।

Digitally signed by SUNIL SINGH
Date: 2026.02.06 15:52:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court